(4) (11) (4)

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

24 जून 1975 की न्या. सं. सं. 332 का परिशिष्ट

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी
(निवासों का आबंटन और अभिग्रहण)
विनियम 1975.

(दिनांक 8.11.1977 के न्या. सं. स. 340 के अंतर्गत मंजूर और नौवहन परिवहन मंत्रालय के दिनांक 7.3.1978 की अधिसूचना संख्या पीईबी/83/77/ के अंतर्गत सरकार द्वारा मंजूर, भारत सरकार के राजपत्र, भाग 11 अनुभाग 3, (दि. 9.3.1975 से लागू एवं दि. 9.3.1978 की जी. एस. आर. सं. 163 (ई)के उप-अनुभाग (i)द्वारा जारी किया गया)

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) ये विनियम मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (आवासों का आबंटन और अधिग्रहण) विनियम 1975 कहलाये जाये.
(2) ये विनियम दि. 4.9.1975 से लागू होंगे.

2. व्याप्ति - ये विनियम मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के सभी कर्मचारियों के आवास-आबंटन पर लागू होंगे.

3. परिभाषाएं - इन विनियमों में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(ए) आवास के संबंध में, "प्रशासकीय प्राधिकारी" से तात्पर्य है - उस आवास के प्रशासन के लिए अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर नामित एक या अधिक अधिकारी.

(बी) "आबंटन" से तात्पर्य है - इन विनियमों के अनुबंधो के अनुसरण में आवास में रहने की अनुमति प्रदान करना.

(सी) "मंडल," "अध्यक्ष" और "विभाग प्रमुखों" के अर्थ वही होंगे जो महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 में उन्हें क्रमशः प्रदान किए गए हैं.

(डी) "पारिश्रमिक, अर्थात -

(क) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट समुद्री सेवा जांच समिति 1967, अथवा प्रमुख बंदरगाह (प्रथम और द्वितीय श्रेणी गैर-समुद्री सेवाएं)वेतन समिति 1972 की सिफारिशों को कार्यान्वित करते समय स्वीकार किए गए वेतनमान पर होने वाले कर्मचारी के मामले में -
(दिनांक 8.11.1977 की न्या. सं. सं. 340 के अंतर्गत मंजूर और नौवहन परिवहन मंत्रालय के दि.7.3.1978 की अधिसूचना संख्या पीईबी-83/77 के अंतर्गत सरकार द्वारा मंजूर , भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित भाग 11, धारा 3, उप-धारा (1) {दि.9.3.1975 से लागू दि.9.3.1978 की जी. एस. आर. संख्या 163(ई)}

(1) वेतन-जिसमें स्थानापन्न वेतन, वैयक्तिक वेतन, विशेष वेतन, तकनीकी वेतन, महंगाई वेतन और "वेतन" के रुप में वर्गीकृत अन्य सारे पारिश्रमिक आदि सम्मिलित हैं

(2) महंगाई भत्ते और भोजन भत्ते छोड़कर अन्य क्षतिपूरक भत्ते.

(3) पद्द के अधिकृत पारिश्रमिक के ही भाग के रुप में प्राप्त मासिक वेतन और भत्तों में स्थायी जोड के अन्य भुगतान - इन में समयोपरि भत्ता भी शामिल है.

(4) निवृत्ति वेतन - असाधारण निवृत्ति वेतन छोडकर.

(5) कर्मचारी निलंबित है और निर्वाह अनुदान तथा उसके अनुरुप क्षतिपूरक भत्ता - यदि हो - मिलता है, तो उस स्थिति में निर्वाह अनुदान एवं क्षतिपूरक भत्ता मिलता है, परंतु यदि बाद में कर्मचारी निलंबन अवधि का वेतन प्राप्त करने की अनुमति दी जाती हो, तो उस स्थिति में इस प्रकार मान्य किया गया वेतन, उसके अनुरुप क्षतिपूरक भत्ता और ऐसे वेतन एवं भत्तों के स्थाई जोड के रुप में प्राप्त अन्य संमत भुगतान -इन सभी को उस अवधि का उसका पारिश्रमिक माना जाएगा.

(ख) बंदरगाह और गोदी कामगारों के लिए वेतन सुधार समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में स्वीकार किए गए वेतनमान पर होने वाले कर्मचारी के मामले में -

(1) उपरोक्त वेतनमान में मूल वेतन, परंतु उसमें वैयक्तिक वेतन, विशेष वेतन, तकनीकी वेतन अथवा मंडल द्वारा वेतन के रुप में वर्गीकृत कोई अन्य पारिश्रमिक शामिल नहीं है

(2) यदि कर्मचारी निलंबित हो और निर्वाह अनुदान पाता हो, तो वह अनुदान राशि तथापि यदि कर्मचारी को बाद में निलंबन की अवधि के लिए वेतन प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है, तो उस प्रकार मान्य वेतन की राशि को उस अवधि का उसका "पारिश्रमिक" माना जाएगा,

स्पष्टीकरण [i] अवकाश पर होते हुए कर्मचारी के पारिश्रमिक का अर्थ यह है कि अवकाश पर जाने से पहले उसके द्वारा पूरे किए गए काम के अंतिम संपूर्ण कैलेंडर माह का पारिश्रमिक है,

[ii] कुछ अवधि के लिए जो कर्मचारी निलंबित रहकर बाद में पुनः काम पर लिया गया है और जिसके निलंबन की अवधि अवकाश के रुप में समझी गई है, उस कर्मचारी का मामला उपरोक्त स्पष्टीकरण [i] लागू किया जाय.

[ङ] "परिवार" का अर्थ होता है - [i] [कर्मचारी की] पत्नी अथवा पति -जैसा मामला हो - [ii] माता-पिता, बच्चे और सौतेले बच्चे, [iii] भाई और बहनें - यदि वे पूर्णतः ग्राही [ॲलॉटी] पर निर्भर हो, [IV]अन्य ऐसा/ऐसे व्यक्ति जो ग्राही का/के नजदीकी रिश्तेदार हो और आवास में रहने के लिए प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा निश्चित रुप से प्राधिकृत हो.

[एफ] बंदरगाह और गोदी कामगारों के लिए जो वेतन सुधार समिति की सिफारिशों के कार्यान्वियन में स्वीकार किए गए वेतनमान पर होने वाला कर्मचारी विनियम 5 के अंतर्गत किस प्रकार के आवास के लिए पात्र है, इस संबंध में देखी जानेवाली कर्मचारी की "प्राथमिक तिथि" से तात्पर्य है वह तिथि जिस तिथि से वह मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की सेवा में अविरत/लगातार रुप से कार्यरत है. परंतु जहां दो या अधिक कर्मचारियों की प्राथमिक तिथि एक ही हो, उस मामले में उनके बीच "प्राथमिकता" निम्न आधार पर निर्धारित की जाएगी -विनियम 6 के उप विनियमों 1 और 4 में उल्लिखित सूची को प्रशासकीय प्राधिकारी द्वारा जिस दिन अंतिम रुप दिया जाएगा, उस तिथि पर ऐसे प्रत्येक कर्मचारी द्वारा लिए गए वेतन की राशि के आधार पर निर्धारित होगा, कम वेतन पाने वाले कर्मचारी की अपेक्षा अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी को वरियता दी जाएगी. जहां दो या अधिक कर्मचारियों की "प्राथमिकता तिथि" और विनियम 6 के उप विनियम 1 और 4 को उल्लिखित सूची को प्रशासकीय प्राधिकारी द्वारा अंतिम रुप दिए जाने की तिथि पर लिए गए वेतन की राशि दोनों की समान हो, उस मामले में उनके बीच प्राथमिकता ऐसे प्रत्येक कर्मचारी की जन्मतिथि के आधार पर निर्धारित होगी , उम्र में बड़े कर्मचारी को वरियता दी जाएगी.

[जी] "किराया" का अर्थ है इन विनियमों के अंतर्गत आबंटित आवास के लिए विनियम 11 के प्रावधान के अनुसार प्रतिमाह देय राशि.

[एच] "आवास" का अर्थ है कर्मचारी तथा उनके परिवार के वास्तव्य के लिए सौंपे जाना कोई भी आवास परंतु उसमें हॉस्टेल की [illegible] शामिल नहीं है.

"टिप्पणी" - जहां पर कर्मचारी को आवास के अलावा गैराज की भी सुविधा दी जाती है, वहां गराज चाहे अहाते अथवा उसके क्षेत्र के अंदर हो, या बाहर, उसे आवास का ही भाग माना जाएगा.

[दिनांक 8.11.1977 की न्या. सं. सं. 340 के अंतर्गत मंजूर किया गया और नौपरिवहन मंत्रालय के दि. 7.3.1978 की अधिसूचना क्र. पीईबी - 83/77 के अंतर्गत सरकार द्वारा मंजूर, भारत सरकार के राजपत्र, भाग II, अनुभाग 3, [दि. 9.3.1975 से लागू एवं दि. 9.3.1978 की जी. एस. आर. संख्या 163 [ई]के अनुभाग (i) द्वारा जारी किया गया]

[आई] "मानक आवास" का अर्थ है "अव-मानक" आवास के रुप में वर्गीकृत आवास छोडकर अन्य कोई भी आवास.

[जे] "अव-मानक" आवास का अर्थ - ऐसा आवास जिसे आवास का आकार, प्रदान की गई सुख-सुविधाएं, आवास का स्वरुप एवं स्थिति और ऐसी अन्य बातों को देखते हुए मंडल ने अव-मानक के रुप में वर्गीकृत किया है.

[के] "शिकमी देना" - इसमें ग्राही द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ किराया लेकर या किराया लिए बगैर आवास में की गई साझेदारी शामिल है.

स्पष्टीकरण - ग्राही और उपवाक्य [डी]में यथा परिभाषित परिवार सदस्यों के आवास में एकत्रित वास्तव्य को शिकमी देना [सब-लेटिंग] नहीं माना जाएगा.

[एल] कर्मचारी के संबंध में "प्रकार" से अर्थ है वह विनियमों के अंतर्गत जिसके लिए पात्र है, उस आवास का प्रकार.

[एम] "कल्याण अधीक्षक" से तात्पर्य है आवासों की देखरेख के लिए नियुक्त कर्मचारी.

4. पति-पत्नी को [आवास] आबंटन - ऐसे कर्मचारी जो परस्पर विवाहित हैं, उनके मामले में आबंटन के लिए पात्रता :- (1) अगर कर्मचारी की पत्नी अथवा पति- जैसा मामला हो - को पहले ही आवास आबंटित किया गया है, तो जब तक वह आबंटित मकान खाली नहीं किया जाएगा, तबतक स्वयं कर्मचारी को इन विनियमों के अंतर्गत आवास आबंटित नहीं किया जाएगा.

जहां पति और पत्नी किसी न्यायालय के कानूनी अलगाव आदेश के अनुपालन में अलग-अलग रहते हैं, वहां यह उप-विनियम लागू नहीं होगा.

(2) जिन्हें इन विनियमों के अंतर्गत स्वतंत्र आवास दिए गए हैं, ऐसे दो कर्मचारी यदि एक दूसरे से विवाह करते हैं, तो विवाह के दिन से एक माह के अंदर उन्हें दोनों में से एक आवास को छोडना होगा.

(3) अगर उप-विनियम (2)की आवश्यकता के अनुसार ऐसे अवधि की समाप्ति पर आवास खाली नहीं किया जाता, तो निचली श्रेणी [लोअर टाइप] के आवास का आबंटन रद्द समझा जाएगा. अगर दोनों आवास एक ही श्रेणी के हैं, तो अध्यक्ष अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा बनाए गए आवास का आबंटन ऐसी अवधि की समाप्ति पर रद्द समझा जाएगा.

[4] आवासों का वर्गीकरण - इन विनियमों में किए गए प्रावधानों को छोड़कर अन्य मामलों में कर्मचारी निम्न तालिका में दिखाए गए प्रकार के आवास के आबंटन के लिए पात्र होगा :

तालिका

आवास की श्रेणी	आबंटन की तिथि पर कर्मचारी का वेतन - नियम विशेष भत्ता शामिल करके.
IV	624 रु. अथवा इसके नीचे
III-सी	624 रु. से अधिक परंतु 780 रु. से कम
III-बी	780 रु. से अधिक परंतु 1115 रु. से कम
III-ए	1115 रु. से अधिक
	उपर्युक्त वेतन समूह प्रमुख बंदरगाह में बंदरगाह एवं गोदी कामगारों के रोजगार की शर्तों की उदारता तथा वेतन सुधार से संबंधित मामलों पर परिवहन मंत्रालय और अखिल भारतीय बंदरगाह एवं गोदी कामगार संघ, भारतीय राष्ट्रीय बंदरगाह और गोदी कामगार संघ तथा बंदरगाह, गोदी एवं भारतीय तटीय संघ के बीच नई दिल्ली में दि. 28.11.1980 को हुए समझौते के अनुसार है. [दिनांक 13.1.1981 की न्या. सं. सं. 20]

(दिनांक 8.11.1977 की न्या. सं. सं. 340 के अंतर्गत मंजूर किया गया और नौपरिवहन मंत्रालय के दि. 7.3.1978 की अधिसूचना सं. पीईबी-85/77 के अंतर्गत सरकार द्वारा मंजूर. भारत सरकार के राजपत्र भाग-II, अनुभाग 3, [दि. 4.9.1975 से लागू एवं दि. 9.3.1978 को जी. एस. आर. संख्या 163 (ई) के अनुभाग (i) द्वारा जारी किया गया)

स्पष्टीकरण : (1) जहां तक इस विनियम का संबंध है, "वेतन" से तात्पर्य है - वास्तविक वेतन और यदि स्थायी पद पर कर्मचारी की नियुक्ति वास्तविक रूप से स्थायी नहीं है, तो उसके द्वारा निचले या निम्नतम पद पर लिया गया वेतन.

(2) उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में दर्शायी गई वेतन सीमाएं बंदरगाह और गोदी कामगारों के लिए वेतन सुधार समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में स्वीकार की गयी वेतन संरचना के अनुसार हैं. इस वेतन संरचना में संशोधन होगा, तो वेतन सीमाएं संशोधित की जाएगी.

(3) वर्तमान आवास, उनकी संख्या और प्रकार तथा अन्य संबद्ध सूचना दर्शाने वाली सारणी इन विनियमों के परिशिष्ट I में दी गई हैं. सूची में अतिरिक्त जानकारी देने अथवा इससे कुछ जानकारी हटा देने से संबंधित विज्ञापन का अधिकार अध्यक्ष महोदय द्वारा समय-समय पर नामित प्राधिकारी को प्राप्त होगा.

(4) जब भी नए आवास बनाने होंगे, पोर्ट ट्रस्ट के मुख्य अभियंता उन आवासों के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उन आवासों के प्रकार निर्धारित करेंगे.

5. IV III-सी, III-बी, III-ए प्रकार के आवासों का आबंटन -

(1) प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक प्रकार के आवास के प्रारंभिक आबंटन के लिए पात्र कर्मचारियों की एक अद्यतन सूची रखी जाएगी. यह सूची विभाग प्रमुखों से आवश्यक सूचना प्राप्त करके उन कर्मचारियों की प्राथमिक तिथियों के अधार पर बनायी गयी होगी.

(2) खाली होनेवाले मकान उनकी वरियता तिथि के अधार पर जिन कर्मचारियों को आबंटित किए जाने की संभावना है, उन कर्मचारियों को मकान उन्हें आबंटित किए जाने की स्थिति में वे आबंटन स्वीकार करना चाहते हैं, अथवा नहीं, इसका लिखित विकल्प देना पडेगा. यह लिखित सूचना मकान खाली होने की अपेक्षित तिथि से कुछ समय पहले - जो अवधि प्रशासनिक प्राधिकारी तय करें - प्रशासनिक प्राधिकारी को प्राप्त होनी चाहिए.

(3) जिन कर्मचारियों को मकान आबंटित किए जाने की स्थिति में उपरोक्त वाक्यांश (2) के अंतर्गत वे उसे स्वीकार करने के इच्छुक हैं, या नहीं, इसकी लिखित सूचना देना आवश्यक है, वे यह सूचना प्रशासकीय प्राधिकारी द्वारा तय समय के अंदर प्रस्तुत करेंगे. यदि कर्मचारी संमत समय के अंदर यह नहीं करता, और इसके लिए कर्मचारी द्वारा दिया गया कारण प्रशासनिक प्राधिकारी की दृष्टि से उचित एवं पर्याप्त नहीं है, तो यह माना जाएगा कि कर्मचारी आबंटित मकान स्वीकार करने का इच्छुक नहीं है, इसकी लिखित सूचना दी गई है. कर्मचारी आबंटन स्वीकार करने की इच्छा अनुमत समय के अंदर लिखित रूप में प्रस्तुत करता है, तो ऐसी सूचना उसकी प्रस्तुति तिथि से दो वर्षों की अवधि तक वैध रहेगी. जिस कर्मचारी ने आबंटन स्वीकार करने अथवा स्वीकार न करने की लिखित सूचना दी है, अथवा जिसके मामले में उसने आबंटन स्वीकार न करने की सूचना दी है, ऐसा माना जाता है, उस कर्मचारी को प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा लिखित सूचना देकर अपना विकल्प बदलने का अवसर दिया जाएगा, बशर्ते कि यह मौका तीन से अधिक बार (प्रारंभिक विकल्प शामिल करके)अथवा मकान आबंटित किए जाने के बाद प्राप्त नहीं होगा. यदि कर्मचारी अंतिम मौके पर आबंटन स्वीकार करने का विकल्प देता है और मकान वस्तुत: आबंटित हो जाने के बाद उसे (यदि वह स्वीकार करने से इंकार करता है, तो अध्यक्षजी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा जो अवधि निर्धारित करेंगे, उस अवधि तक उसे अगला कोई आबंटन नहीं दिया जाएगा.

(4) पहले ही पोर्ट ट्रस्ट के मकान में रहता है और पदोन्नति अथवा अन्य कारण से हुयी वेतन वृद्धि के अधार पर विनियम ९ के अंतर्गत उच्चतर नियम के आवास के लिए पात्र होता है, ऐसा कोई कर्मचारी उस उच्चतर श्रेणी के आवास का इच्छुक है, तो वह प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र एवं पद्धति के अनुसार किसी भी समय अपने विभाग प्रमुख के जरिए प्रशासनिक प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है. इस प्रकार प्राप्त आवेदनों के आधार पर प्रशासनिक प्रधिकारी उच्चतर नियम के आवास के लिए आबंटन देनेवाले कर्मचारियों की अद्यतन सूची रखेंगे. यह सूची कर्मचारियों की संबंधित वरियता तिथि के आधार पर बनायी जाएगी.

(5) इन विनियमों में किए गए प्रावधानों को छोडकर अन्य मामलों में जब कोई मकान खाली होगा अथवा नया मकान आबंटन के लिए उपलब्ध होगा, प्रशासनिक प्रधिकारी उस मकान का आबंटन उस प्रकार के मकान के संबंध में सबसे पुरानी वरियता तिथि होने वाले कर्मचारी को करेंगे, बशर्ते कि खाली या उपलब्ध हुआ मकान यदि तृतीय-सी, तृतीय-बी अथवा तृतीय-ए श्रेणी का हो, तब प्रत्येक तीन के प्रत्येक पांच खाली मकानों में से पहला मकान उस कर्मचारी को आबंटित किया जाएगा, जिसकी वरियता सबसे